

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष),
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 02 जून, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राकृतिक विपत्तियों के कारण सड़कों एवं सेतुओं के पुर्ननिर्माण/तात्कालिक मरम्मत कार्यों हेतु प्रथम चरण में धनावटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-242/78 बजट (एस0डी0आर0एफ0)/2020-21, दिनांक 27.05.2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 में आगामी मानसून अवधि के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों/सेतुओं की मरम्मत हेतु रु0 49.55 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त राज्य आपदा मोचन निधि में वित्तीय वर्ष 2020-21 में की गई बजट व्यवस्था से प्रथम चरण में ₹ 30.00 करोड़ (₹ तीस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से व्यय हेतु संशोधित दिशा-निर्देश दिनांक 08.04.2015 में भारत सरकार द्वारा विभागवार तात्कालिक प्रकृति के कार्य स्पष्ट किये गये हैं तथा तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यों में मरम्मत हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी है। अतः प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि भारत सरकार के उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। (सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न)
2. आहरण व व्यय केवल उन मरम्मत एवं पुर्नस्थापना कार्यों के लिए किया जायेगा, जो एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ. के दिशा-निर्देशों से आच्छादित हो।
3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।
4. सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा लोक निर्माण विभाग के कार्यों में से 5% कार्यों का स्वविवेकानुसार (Randomly) चयन करते हुए Third Party जांच करायी जायेगी व आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
5. कराये गये कार्यों की अनिवार्यतः फोटोग्राफी एवं यथासम्भव वीडियोग्राफी भी सुनिश्चित की जायेगी व आख्या जिलाधिकारी व शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
6. स्वीकृत धनराशि उक्त मद में नियमानुसार व्यय की जायेगी एवं अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
7. व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं मितव्यता के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2021 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
 9. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जायेंगी एवं सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
 10. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट अथवा इस बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है एवं यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी, इसकी लिखित पुष्टि कर ली जायेगी तथा नव निर्माण कार्यों में कदापि धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।
 11. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित जिलाधिकारी/ निर्माण एजेंसी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
 12. उक्तानुसार राज्य आपदा मोचन निधि से लोक निर्माण विभाग को अवमुक्त की जा रही धनराशि के पश्चात जनपदों में जिलाधिकारियों द्वारा इस मद में कोई धनराशि लोक निर्माण विभाग को आवंटित नहीं की जायेगी।
- 3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-05-राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)-101-आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में अन्तरण एस.डी.आर. एफ.-02-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय मद के नामें डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-292/9(150)-2019/ XXVII(1)/2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 में निहित निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव

संख्या- (1)/XVIII-B-1/2020-12(4)/2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी एवं लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 4- समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8- निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 9- निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 12- गार्ड फाइल।
- 13- सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव